

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी :
प्रकरण संख्या :

मुकेश वारंट (आर.ए.एस.)

94/2017

1. सतनाम सिंह उर्फ सरदूल सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति जटिया निवासी चक 7 डक्यू तहसील श्रीकरणपुर।
2. परमवीर कौर पुत्री सतनाम सिंह उर्फ सरदूल सिंह जाति जटिया निवासी चक 7 डक्यू तहसील श्रीकरणपुर।
3. राजवीर कौर पुत्री सतनाम सिंह उर्फ सरदूल सिंह जाति जटिया निवासी चक 7 डक्यू तहसील श्रीकरणपुर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर टी ए

--निर्णय--

दिनांक : 07.11.2017

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वार्दीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 7 डक्यू की जमावंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 46 के मु0न0 17 की 3.036 हेक्टर, मु0 न0 18 की 5.060 हेक्टर नहरी, मु0 न0 26 की 0.099 हे0 कुल 8.195 हेक्टर नहरी रकवा वार्दीगण संख्या 1 सतनाम सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है। वार्दीगण का उक्त रकवा के संबंध में घरेलू वंटवारा हो चुका है। घरेलू वंटवारा में चक 7 डक्यू के खाता संख्या 46 की 8.195 हे0 नहरी रकवा में से वार्दीगण संख्या 1 सतनाम सिंह अपना 0.886 हे0 नहरी रकवा वार्दीगण संख्या 2 तथा अपना 0.885 हे0 नहरी रकवा वार्दीगण संख्या 3 को देगा। इसी प्रकार चक 7 डक्यू के खाता संख्या 46 के मु0 न0 17, 18, 26 की कुल 8.195 हे0 नहरी रकवा में से वार्दीगण संख्या 2 परमवीर कौर अपने नाम 0.886 हे0 नहरी रकवा तथा वार्दीगण संख्या 3 अपने नाम 0.885 हे0 तथा वार्दीगण संख्या 1 सतनाम सिंह अपने नाम 6.424 हे0 नहरी रकवा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज करवा पाने का अधिकारी है तथा दावा ला पाने का अधिकारी है। घरू वंटवारा मुताबिक वार्दीगण अपने अपने हिस्सा पर काबिज काशत चले आ रहे है। वार्दीगण उक्त भूमि को घरेलू वंटवारे में प्राप्त रकवा को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। दावा दायर से दो दिन पूर्व वार्दीगण प्रतिवादी से मिले और घरेलू वंटवारे के मुताबिक रकवा वार्दीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए कहा तो प्रतिवादी ने साफ इंकार कर दिया। यही वाद कारण है। दावा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वार्दीगण का वाद पत्र स्वीकार कर निम्न प्रकार से डिगरी किया जावे- चक 7 डक्यू के खाता संख्या 46 के मु0 न0 17, 18, 26 की कुल 8.195 हे0 नहरी रकवा मय गैरमुमुकिन खाला में वार्दी संख्या 2 परमवीर कौर को 0.886 हे0 रकवा का तथा वार्दी संख्या 3 राजवीर कौर को 0.885 हे0 नहरी रकवा का एवं वार्दी संख्या 1 सतनाम सिंह को 6.424 हे0 नहरी रकवा का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार अंकन किया जावे एवं अन्य कोई अनुतोप हो तो वार्दीगण को दिलवाया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पैरोकार राज के द्वारा जवाब स्टेट पेश किया। जवाब स्टेट के अनुसार वाद पत्र की मद संख्या 1 लाईल्मी होने के कारण अस्वीकार है। मद संख्या 2 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार स्वीकार है। मद संख्या 3 लाईल्मी होने के कारण अस्वीकार है। मद संख्या 4, 5 अस्वीकार है। वार्दीगण कर्मा भी प्रतिवादीगण से नहीं मिले। मद संख्या 6 कानूनी है, इसलिए स्वीकार है।

वार्दी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि जवाब स्टेट पेश हो चुका है। वार्दीगण घरेलू वंटवारा अनुसार वादपत्र डिगरी करवाने में सहमत है। प्रकरण में किसी का कोई एतराज नहीं है। वार्दीगण एक ही परिवार के सदस्य है जो घरेलू वंटवारा अनुसार विवादित भूमि पर काबिज काशत है। इसलिए प्रकरण में वार्दीविन्दु कायमी एवं साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। वादपत्र अनुसार डिगरी जारी की जावे। वकील वार्दीगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वार्दीगण अपने नाम दर्ज भूमि को घरेलू वंटवारा अनुसार दर्ज करवाना चाहते है। किसी का कोई एतराज नहीं है। वार्दीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सबूत एवं पैरोकार राज के द्वारा पेश जवाब स्टेट के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 7 डब्ल्यू की जमाबंदी संवत् 2071 ता 74 के खाता संख्या 46 के मु0 न0 17, 18, 26 की कुल 8.195 है0 नहरी रकवा मय गैरमुमकिन खाला में से वादी संख्या 2 परमवीर कौर पुत्री सतनाम सिंह उर्फ सर्दूल सिंह जाति जटसिख निवासी 7 डब्ल्यू के नाम 0.886 है0 नहरी रकवा तथा वादी संख्या 3 राजवीर कौर पुत्री सतनाम सिंह उर्फ सर्दूल सिंह जाति जटसिख निवासी 7 डब्ल्यू के नाम 0.885 है0 नहरी रकवा दर्ज किया जावे एवं शेष रकवा वादी संख्या 1 सतनाम सिंह उर्फ सर्दूल सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 7 डब्ल्यू के नाम दर्ज किया जावे।

रहन फक होने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अंकन किया जावे। पर्चा डिगरी इसी आशय का जारी हो। पर्चा डिगरी की एक प्रति राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्रेषित की जावे। इस संबंध में कोई राजस्व हानि होगी तो वह संबंधित पक्षकार वहन करेंगे। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07/11/2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



W
उपरखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
उपरखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अन्तिम डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाक्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

ब अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री मुकेश वारैठ, आर.ए.एस.

सतनाम सिंह आदि वनाम राजस्थान सरकार

दावा 53,88 आर.टी.ए मुकदमा नं0 94/2017

निर्णय दिनांक :- ०७.११.२०१७

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई खबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर ब हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री वाई. एस. सैनी, रामदास सोलंकी एवं प्रतिवादी पैरोकार राज पेश होकर आवेश दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि -

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 7 डक्यू की जमावंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 46 के मु0 न0 17, 18, 26 की कुल 8.195 है0 नहरी रकवा मय गैरमुमकिन खाला मे मे वादी संख्या 2 परमवीर कौर पुत्री सतनाम सिंह उर्फ सर्दूल सिंह जाति जटसिख निवासी 7 डक्यू के नाम 0.886 है0 नहरी रकवा तथा वादी संख्या 3 राजवीर कौर पुत्री सतनाम सिंह उर्फ सर्दूल सिंह जाति जटसिख निवासी 7 डक्यू के नाम 0.885 है0 नहरी रकवा राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जावे एवं शेष रकवा वादी संख्या 1 सतनाम सिंह उर्फ सर्दूल सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 7 डक्यू के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जावे।

रहन फक होने पर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे नियमानुसार अंकन किया जावे। पर्चा डिगरी की एक प्रति राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्रेषित की जावे। इस संबंध में कोई राजस्व डानि होगी तो वह संबंधित पक्षकार वहन करेंगे।

आज दिनांक ०७.११.२०१७ को यह पर्चा डिक्की मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर



W1
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	0	--
योग	04	00	योग	04	00

मुहर

क्रमांक :- राजस्व/17/818

प्रतिलिपि : तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित है।



W1
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
जिला श्रीगंगानगर
दिनांक :- ०७.११.२०१७

W1
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
जिला श्रीगंगानगर